

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

//शुद्धि पत्र//

दिनांक 09.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढा जावे।

भाग-2 नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	मुद्रित पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 180) प्र.(क)	26	अनिवार्य रूप	अनिवार्य रूप
परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 180) प्र.(ख)	26	आवेदनों को	आवेदनों को
परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 180) प्र.(ख)	26	कई बार	कई बार
परि.अता.प्र.सं. 27 (क्र. 350) प्र.(ख)	38	क्या करण है?	क्या कारण है?
परि.अता.प्र.सं. 38 (क्र. 424) प्र.(घ)	44	प्रारम्भ जावेगा?	प्रारम्भ किया जावेगा?
परि.अता.प्र.सं. 48 (क्र. 582) प्र.(ख)	50	प्रश्न अश में	प्रश्नांश में

भाग-3 अतारांकित प्रश्नोत्तर

अता.प्र.सं. 65 (क्र.646) प्र.(ग)	126	शिकायतें प्राप्त	शिकायतें प्राप्त
अता.प्र.सं. 68 (क्र.652) प्र.(ड.)	128	आंगनवाडियों में	आंगनवाडियों में
अता.प्र.सं. 70 (क्र.655) प्र.(ख)	130	भाव में बंद	अभाव में बंद

नोट:-

- दिनांक 09.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारां. प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 484) का पृथकतः वितरित उत्तर पढा जावे ।

स्थान: विधानसभा भवन
भोपाल
दिनांक: 08 फरवरी 2024

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा